

विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपज़ - सेज़, भारत सरकार,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई -400096

\*\*\*\*\*

फा.सं.एस/आइ-101/2015 सीपज़-सेज़/ ३१४३६

दिनांक: 19/12/2016

सार्वजनिक सूचना संख्या ३३ / 2016

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ों के सभी यूनिटों के ध्यान में यह लाया जाता है कि रद्दी मूल्यांकन के लिए एकसमान परिपाटी के उद्देश्य से नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सेज़ यूनिटों द्वारा उत्पन्न रद्दी जोकि डीटीए बिक्री के लिए हो, का मूल्यांकन सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के साथ पठित सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित मालों के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा। रद्दी का मूल्यांकन एनआइडीबी (राष्ट्रीय आयात डाटा बेस) जोकि सीबीईसी द्वारा रखा जाता है के समकालीन मूल्यों के आधार पर किया जाएगा।

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विजय प्रकाश  
शुक्ल

(विजय प्रकाश शुक्ल)  
संयुक्त विकास आयुक्त,  
सीपज़-सेज़, मुंबई

प्रति:-

1. सभी यूनिट सीपज़-सेज़
2. सूचना पृष्ठ / वेबसाइट
3. कार्यालय प्रति

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
SEEPZ -SEZ, GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,  
DEPARTMENT OF COMMERCE  
ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096

F. No. S/I-101/2015 SEEPZ-SEZ / 37836

Date : 19/12/2016

33.  
PUBLIC NOTICE NO. 33/2016

It is brought to the notice of all Units functioning in all SEZ's falling under the jurisdiction of Development Commissioner/SEEPZ-SEZ, that the below mentioned procedure will be followed for valuation of scrap in order to have a uniform practice for scrap valuation.

The valuation of scrap generated by SEZ Units and meant for sale to DTA, will be carried out on the basis of the provisions of Section 14 of the Customs Act, 1962 read with Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007. The valuation of scrap will be done on the basis of contemporaneous values in NIDB (National Import Data Base) maintained by CBEC.

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

  
(V. P. Shukla)

Joint Development Commissioner,  
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-

- 1) All Units in SEEPZ.-SEZ
- 2) Notice Board / Website.
- 3) Office copy